प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-230/2025 दिनांक 18.08.2025)
दिनांक-18.08.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना कसया पुलिस द्वारा गैरा इरादतन हत्या आदि के मामले में पत्नी सहित 04 अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार एवं एक बाल अपचारी अभिरक्षा में

वादी तुलसी गुप्ता के पुत्र पवन गुप्ता उम्र लगभग 30 वर्ष साकिन मंगलपुर थाना कसया जनपद कुशीनगर की अपने पत्नी व ससुराल वालों से पारिवारिक विवाद में मारपीट होने से पवन गुप्ता के घायल होने से ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 17.08.2025 को थाना कसया पर मु0अ0सं0 0529/2025 धारा 105, 115(2), 191(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 18.08.2025 को थाना कसया पुलिस द्वारा अभियुक्ता पत्नी सहित 04 अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया तथा एक बालअपचारी को अभिरक्षा में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 0529/2025 धारा 105, 115(2), 191(2) बीएनएस थाना कसया कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-
1. जितेन्द्र गुप्ता पुत्र ठग गुप्ता निवासी वार्ड नं0 21 झुंगवा थाना कसया जनपद कुशीनगर
2. तीन महिला अभियुक्ता
3. अभिरक्षा में एक बालअपचारी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. प्र0नि0 अमित शर्मा थाना कसया जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 गौरव कुमार शुक्ल थाना कसया जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 प्रियंका तिवारी थाना कसया जनपद कुशीनगर
4. मुख्य आरक्षी साहिल यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
5. आरक्षी राहुल पाण्डेय थाना कसया जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office

6.	महिला आरक्षी अर्चना दूबे थाना कसया कुशीनगर

फर्जी डॉक्टर द्वारा किडनी स्टोन का इलाज/ऑपरेशन करते समय किडनी को क्षतिग्रस्त करने के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत वादी अलाउद्दीन अंसारी पुत्र साकिर अंसारी निवासी रामपुर थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर द्वारा तहरीर दिया गया कि न्यू लाइफ केयर हास्पिटल कोटवा बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया पर नकली डाक्टर बनकर किडनी स्टोन के इलाज करते हुए किडनी खराब कर दिया गया। इस संबंध में दिनांक 12.08.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया पर मु0अ0सं0 303/2025 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था जिसके क्रम में आज दिनांक 18.08.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा अभियुक्त रिजवान पुत्र इमामुद्दीन निवासी न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल रामपुर मोड़ कोटवा बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 303/2025 धारा
319(2),318(4),125ए,125,340ए,336(3),338 बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-
रिजवान पुत्र इमामुद्दीन निवासी न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल रामपुर मोड़ कोटवा बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1.	थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2.	व0उ0नि0 प्रमोद कुमार गौतम थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
3.	उ0नि0 महेन्द्र यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
4.	का0 अजीत सिंह यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
5.	का0 रोहित सरोज थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

थाना रामकोला क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या की घटना का खुलासा, घटना में शामिल 02 अभियुक्तों को मय आलाकत्ल व मोटरसाईकिल के साथ किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 16.08.2025 को थाना रामकोला क्षेत्र के ग्राम मोरवन में पुलिया

Edit with WPS Office

के नीचे एक नाबालिक लड़की उम्र करीब 15 वर्ष का शव प्राप्त हुआ था। प्रकरण में मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना रामकोला पर मु0अ0सं0-350/2025 में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण में पुलिस द्वारा शव का नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट लगने से मृत्यु होना पाया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री उमेश चन्द भट्ट के नेतृत्व में घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमे गठित की गई थी, जिसके क्रम में आज दिनांक 18.08.2025 को थाना रामकोला पुलिस द्वारा घटना में शामिल दो आरोपियों 1.निलेश पुत्र जितेन्द्र निवासी वार्ड नं0-06 भूषण कालोनी कस्बा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर 2.प्रिंस कुमार पुत्र नन्दू हरिजन निवासी बैरिया थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल व मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है।

पूछ-ताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि निलेश का मृतका से प्रेम-प्रसंग था। इसी बीच मृतका किसी और लड़के से बात करने लगी थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर निलेश ने लड़की को मिलने के लिए बुलाया और वाद-विवाद होने पर चाकू से मारकर हत्या कर दिया और अपने साथी प्रिंस कुमार के साथ मिलकर शव को पुलिया के नीचे छुपा दिया था।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0स0 350/2025 धारा 137(2)/103(1)/238/3(5) बीएनएस व 3(2)v एससी एसटी एक्ट थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1- निलेश शर्मा उर्फ छोटू पुत्र जितेंद्र सा0 भूसन कालोनी वार्ड नंबर 6 कस्बा रामकोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2- प्रिंस कुमार पुत्र नन्दू सा0 बैरिया चमटोली थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-
1-घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू ।
2- अपराध में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल (यूपी 57 बी डब्लू 6612)

गिरफ्तार करने वाली टीम-
1- प्र0नि0 श्री राज प्रकाश सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office

2- उ0नि0 अनिल यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
3- का0 रवि यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
4- का0 रविन्द्र चौहान थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
5-का0 दीपक यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
6- का0 विजय कुमार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 25 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-28 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-47, व्यक्ति-129
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(07)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-32)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office